तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5450/2004/उदयपुर मीना बनाम हीरालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 02.03.2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिलाधीश, वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी की ओर से पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए मूल वाद को निर्णीत किया गया है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं निगराधीन आदेश को अवलोकन किया

पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने निगराधीन आदेश से वादी हीरालाल की ओर से प्रस्तुत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए मूल वाद को निर्णीत किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी के माध्यम से पक्षकार बनाये जाने के आदेश को आक्षेपित किया गया है, जबकि मूल वाद विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय से निर्णीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को निगरानी के माध्यम से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निगरानी के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5450/2004/उदयपुर मीना बनाम हीरालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	